706347

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 DEC 2009

बयनामा

बयनामा	17,50,000 / —रू0
मालियत	17,54,000 / —रू0
स्टाम्प	1,23,000 / —रू0

हम कि शर्फुददीन व मौहम्मद हनीफ व निजामुददीन व शराफत व नजाकत हुसैन व रियासत व फिरासत हुसैन व मौहम्मद फरीद पुत्रगण स्व0 अलाउददीन व श्रीमती जमीला पत्नी स्व0 अलाउददीन निवासीगण ग्राम मंगूपुरा परगना व जिला

नि० शर्फुद्दीन मो० हनीफ नि० निजामुद्दीन

Nazakat रियासत फिरासत मौ० फरीद

नि० जमीला

- 2 DEC 2009

आज दिनांक........................

स्टाम्प धनराशि 25000 10000

श्री डा० प्रमोद कुमार अग्रवाल s/o स्व० श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल R/o राम गंगा विहार फेज० II ए-5 पाल

को कोषागार मुरादाबाद......!

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

RUPEES 25000 रुपये भारतीय गैर न्यायिक RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

सत्यमेव जयते

RUPEES 25000 रुपये पच्चीस हज़ार रुपये RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 706348

- 2 DEC 2009

मुरादाबाद (विक्रेता) प्रथम पक्ष एवम् डा0 प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल निवासी रामगंगा विहार द्वितीय शहर व जिला मुरादाबाद (क्रेता) द्वितीय पक्ष के हैं।

जो कि अपना कुल बकदर 1/3 भाग मिनजुमला आराजी काश्त भूमिधरी खाता सं0 24 खसरा सं0 633अ रकबई 0.793 हेक्टे0 व खसरा सं0 633ब रकबई 0.057 हेक्टे0 कुल दो किते कुल रकबई 0.850 हेक्टे0 लगानी सालाना 31.50 रू0 बजमीं ताल्लुकात मुताल्लिका उसके, स्थित ग्राम मंगूपुरा

मौ0 हनीफ

Nazakat

रियासत

मौ0 फरीद

Scanned by Scanner Go

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

706349

कोषागार 1400

- 2 DEC 2009

3

तहसील व जिला मुरादाबाद जिसके प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिधर मालिकाना मालिक काबिज व दखील हैं। जिसमें प्रथम पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्वामी व अधिकारी अथवा भागीदार नही है जिसके सम्बन्ध में प्रथम पक्ष को कुल अधिकार विक्रय, दान इत्यादि के प्राप्त हैं जो इस समय तक प्रत्येक प्रकार से विधिक झगड़े झंझटों जैसे बन्धक, विक्रय, दान इत्यादि से बिल्कुल मुक्त व स्वच्छ है। अतएव प्रथम पक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक अपने मन बुद्धि, मष्तिष्क की स्वस्थ

मो० हनीफ

रियासत फिरासत मो० फरीद

Nazakat

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

706346

4

DEC 2009

दशा में, बिना किसी अनुचित दबाब के खूब विचार विमर्श करने के पश्चात उक्त विक्रीत कृषि भूमि को समस्त स्वत्व व अधिकारों व अधिकार भूमिधरी सहित बिना किसी स्वत्व व अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे हुये सम्बन्धित उसके को अंकन 17,50,000/–रू0 सत्रह लाख पचास हजार रू0 जिसके आधे 8,75,000/–रू0 आठ लाख पिच्छत्तर हजार रू0 होते हैं बहक डा0 प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल निवासी रामगंगा विहार द्वितीय शहर व जिला

मौ0 हनीफ

Nazakat रियासत विरासत मौ0 फरीद

Scanned by Scanner Go

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 740705

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

5

मुरादाबाद द्वितीय पक्ष के हाथ बिल्कुल विक्रय कर दी और कुल विक्रय लेन–देन धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार वक्त रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके आज की तिथि से उक्त विक्रीत भूमि को उक्त द्वितीय पक्ष को स्थल और स्वामित्व का स्थाई कब्जा व दखल देकर प्रथम पक्ष ने अपने समान स्वामी व अधिकारी बना दिया है आज से जो विधिक स्वत्व व अधिकार उक्त विक्रीत कुल भूमि के प्रथम पक्ष को प्राप्त थे वह सब और कुल स्वत्व व अधिकार उक्त विक्रीत

Nazakat रियासत

Scanned by Scanner Go

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 740707

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद 30 NOV

6

भूमि के सम्बन्ध में इस विक्रय विलेख के द्वारा द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं। अब प्रथम पक्ष अथवा प्रथम पक्ष के किसी भी विधिक उत्तराधिकारीगण अथवा स्थानापन्नों का कोई स्वत्व व अधिकार या कोई लेन–देन राशि उक्त विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष की ओर शेष नही रही है और न भविष्य में कभी होगी। अतः उक्त विक्रीत भूमि का बदला उक्त विक्रय लेन–देन धनराशि से हो गया जो हम पक्षगण को स्वीकार व मान्य है। यदि आज के बाद कोई भी व्यक्ति उक्त विक्रीत भूमि

मौ० हनीफ

रियासत

Nazakat

मौ० फरीद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 740706

7

में अपना स्वत्व व अधिकार सिद्ध करे तो उसको उत्तर देने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा और यदि उक्त विक्रीत भूमि पर कोई प्राचीन ऋण या कोई दोष प्रमाणित हो जिसके कारण उक्त विक्रीत भूमि कुल या अंश भाग उक्त द्वितीय पक्ष या उनके विधिक उत्तराधिकारीगण के कब्जे व दखल व अधिकार से निकल जाये या उसकी सुरक्षा की निमित्त कुछ धनराशि देनी या व्यय करनी पड़े तो उन सभी दशाओं में प्रथम पक्ष बयनामें पर दी गई धनराशि सूद सहित द्वितीय पक्ष को वापिस

Nazakat

मो० फरीद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 741011

2009

8

देने के पाबन्द रहेंगे। प्रथम पक्ष के मना करने अथवा न देने की स्थिति में उक्त द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वे सक्षम न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से अधिकार स्वरूप प्राप्त कर लें। प्रथम पक्ष अथवा प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारीगण को कुछ आपत्ति करने का अधिकार न होगा। अब द्वितीय पक्ष को स्वत्व व अधिकार है कि वह समस्त सरकारी अभिलेखों में से प्रथम पक्ष का नाम कटवाकर अपना नाम बहैसियत स्वामी अंकित करा लें और उससे जिस

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 720158

1 DEC 19

9

प्रकार चाहें लाभ उठाये व उपयोग व उपभोग इत्यादि करें। आज तक की समस्त विधिक देनदारियों व जिम्मेदारियों व पाबन्दियों के प्रथम पक्ष देनदार व जिम्मेदार व पाबन्द रहेंगे। यही समस्त विधिक पाबन्दियाँ प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों पर भी लागू होंगी। उक्त विक्रीत भूमि वक्फ कस्टोडियन, शत्रु एवं अर्बन सीलिंग ग्राम समाज इत्यादि सम्पत्ति नही है। जिसमें कोई पेड़, कूप, भवन आदि नही है। जिसकी 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि हो रही है।

मो० हनीफ

Nazakat

रियासत

विरासत

मो० रशीद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 719897

10

विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है। उक्त विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के परिशिष्ट 1, उपखण्ड "क" पृष्ठ सं0 5 क्रम सं0 21 के अनुसार दर 25,00,000/–रू0 प्रति एकड़ निर्धारित है। जिससे उक्त कृषि भूमि का स्टाम्प शुल्क देय हेतु कुल मूल्यांकन 17,50,000/–रू0 होता है। उक्त आराजी में एक पुराना वोरिंग है जिसकी अधिकतम कीमत 4,000/–रू0 होती है। इस प्रकार कुल कीमत 17,54,000/–रू0 होती है। तदनुसार स्टाम्प शुल्क

मौ० हनीफ

Nazakat रियासत सियासत मौ० फरीद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 719896

दिया गया है। उक्त खसरा नम्बरान में विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रय किया है अब कोई भाग शेष नही रहा है। पक्षगण के फोटो गवाहान की शनाख्त पर सत्यापित किये गये है।

अतः यह बयनामा लिख दिया ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

मौ० हनीफ

Wazakat रियासत रियासत मौ० फरीद

<u>विवरण विक्रय लेनदेन धनराशि</u>–17,50,000/–रू0 नकद प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से इस विलेख के प्रस्तुतिकरण के वक्त प्राप्त कर लिये हैं।

ह0 विक्रेता नि0 [illegible]	ह0 विक्रेता मौ0 हनीफ	ह0 विक्रेता नि0 सिराजुद्दीन
ह0 विक्रेता नि0 [illegible]	ह0 विक्रेता Nazakat	ह0 विक्रेता रियासत
ह0 विक्रेता फिरासत	ह0 विक्रेता मौ0 फरीद	ह0 विक्रेता नि0 [illegible]

ह0 क्रेता [illegible]

सा0 रामअवतार सा0 हरीशंकर

श्री रामअवतार पु0 श्री नन्हू सिंह पु0 श्री हरीशंकर पु0 श्री रामप्रसाद नि0 ग्राम मंगूपुरा तह0 मंगूपुरा तह0व जि0 मुरा0 व जि0 मुरा0

विक्रय विलेख आज दिनांक 03–12–2009 ई0 को स्थान मुरादाबाद बइकरार पक्षगण बकितावत श्री वी0के0 गुप्ता कातिब सचिन मिश्रा ने टाईप किया।

3/12/09

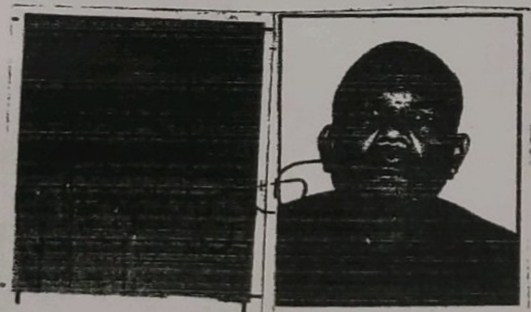

आज दिनांक 03/12/2009 को

बही सं 1 जिल्द सं 6286

पृष्ठ सं 269 से 294 पर कमांक 6835

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

पी0 के0 यादव

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

3/12/2009

[illegible] तहसील मुरादाबाद

वाद संख्या 5424/[illegible]

आदेश दिनांक 5/2/2010

नक्शा नजरी आराजी काश्त भूमिधरी खसरा संख्या 633अ, 633ब कुल रकबा 0.8500हे० का 1/3 भाग बय तलब हो रहा है, स्थित ग्राम मंगूपुरा तहसील व जिला मुरादाबाद।

इकरारी :- श्री शफुद्दीन आदि ।

मौसूमा :- श्री डा० प्रमोद कुमार अग्रवाल ।

नोट - खेत की 200मी० लिख्या के खेती हो रही है।

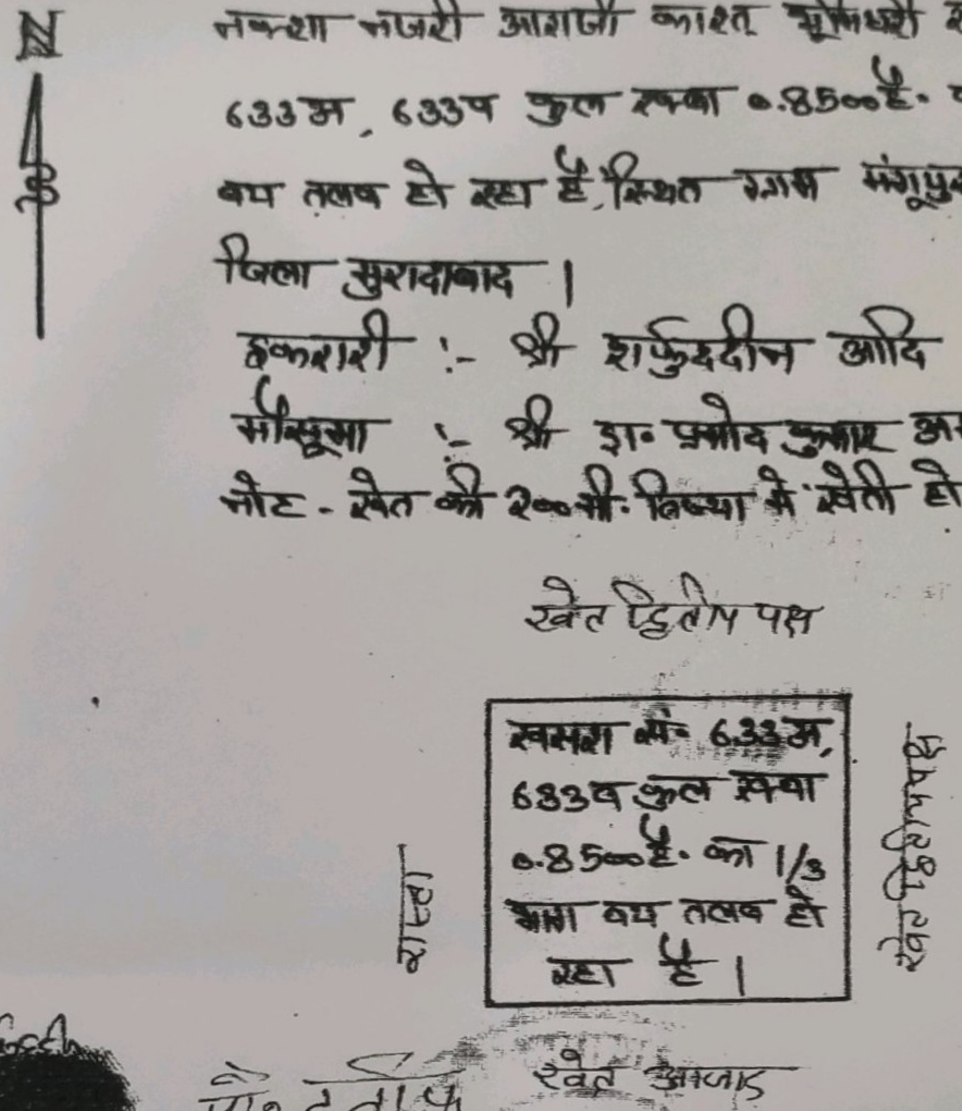

शफीउद्दीन

मौ० हनीफ

शफीउद्दीन

शराफत

Nazakat

रियासत

सियासत

मौ० फरीद

जमीला